संख्या-81 /2023/3285/26-3-2023/C.N.-1396097

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10) में मास्टर डाटा तैयार करने हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-62/2023/2703/26-3-2023/सी0एन-1396097 दिनांक 21.08.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10) में समय-सारिणी निर्गत की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3088/स0क0/ शिक्षा-अ/6/597/2023-24 दिनांक 03.10.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10) में मास्टर डाटा तैयार करने हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति साइट को एन0आई0सी0 द्वारा समुचित विकास नहीं किये जा सकने के कारण साइट सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पायी। एन0आई0सी0 द्वारा जब तक छात्रवृत्ति साइट को विकसित किया जाता, तब तक मास्टर डाटा तैयार करने का समय व्यतीत हो गया। शासन द्वारा पूर्व में निर्गत समय-सारिणी दिनांक 21-08-2023 में वर्ष 2023-24 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार मास्टर डाटा तैयार करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व निर्धारित समयावधि	प्रस्तावित समयावधि
1	2	3	4
	मास्टर डाटा		
1	**<u>विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u>** प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	07 अगस्त 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक	06 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक
2	**<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन</u>** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	08 अगस्त 2023 से 05 अक्टूबर 2023 तक	09 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10) का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/ उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।